मोहनलाल बनाम अनिल वगैरह

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	77/2015 धारा आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/5/15	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। लिखित बहस पेश की। शामिल पत्रावली। बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश 17/5/15 को पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	17/5/15	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/5/15 को पेश हो।
	13/5/15	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/3/15 को पेश हो।
	5/3/15	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति नक्शा से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम :राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 97/2020
निर्णय दिनांक : 05.03.2021

1. मोहनलाल पुत्र स्व जगदीश
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व जगदीश
3. केदार पुत्र स्व जगदीश
4. सुरेश पुत्र स्व जगदीश
5. लाली देवी धर्म पत्नी स्व श्री जगदीश
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

...वादीगण

बनाम

1. अनिल पुत्र कन्हैयालाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. लादी देवी धर्मपत्नी कन्हैयालाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. नारंगी देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मुहाना तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व विभाजन व सीमाज्ञान अन्तर्गत धारा 88 व 53 तथा धारा 111/128 भू–राजस्व अधि0

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कि खातेदारी की कृषि भूमि के अलावा सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर ग्राम मुहाना, तह0 सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण व अन्य खातेदारों की कृषि भूमि खाता संख्या 398 कुल रकबा 66 व कुल रकबा 18.53 हैक्टेयर का आपसी सहमति द्वारा दिनांक 19.07.2006 को विभाजन कर लिया गया जिसका प्रतिवादी संख्या चार द्वारा तस्दीक किये जाने के पश्चात् सभी खातेदारो का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा कर दिया गया तथा उसके अनुसर ही राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक खाता कायम कर पृथक – पृथक लगान कायम कर दिया गया। परन्तु सहवन से टंकन त्रुटि के कारण आपसी सहमति से लेख्य किये गये विभाजन पत्र में खसरा संख्या 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादीगण संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 गलत अंकन हो गया उक्त गलत अंकन के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या चार द्वारा विभाजन पत्र को तस्दीक कर दिया गया उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेखों में भी अंकन कर दिया गया जो प्रारम्भ से वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण संख्या एक ता चार के पिता जगदीश व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का देहान्त हो जाने के पश्चात् विवादग्रस्त सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण में न्यायगत हो गये है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

वादीगण ने कानूनी कार्यवाही व राजस्व अभिलेखों मे अपना नाम अंकित कराने हेतु राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त खसरा नम्बर के राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा गलत अंकन हो गया तदोपरान्त वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन को कहा कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 के स्थान पर वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 गलत अंकन हो गया जिसको सही करवाना आवश्यक है इस पर प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि जब भी आप कहेगे तब ही उक्त गलत अंकन को सही अंकन करवा लेगे परन्तु अभी में व्यस्त हुँ आप मुझे चाहे तो लेख्य करवा लेवे इस पर प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण के हक में राजस्व अभिलेखो को हुए गलत अंकन तथा वादीगण का सही हिस्से बाबत् शपथ-पत्र निष्पादित कर दिया। दिनांक 04.06.2015 को वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन को कहा कि आप तहसील में चलकर राजस्व अभिलेखो में हुए अंकन को दुरूस्त करवा देवे तो प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेखो में हुए गलत अंकन को दुरूस्त कराने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हम तो उक्त भूमि को जल्दी ही बेचान करेगे। वादपत्र की श्रवणाधिकारिता और निर्णय प्रभूता मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

अतः वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि:-

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक ता तीन डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर कि फरमाई जावे कि वादीगण विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में हिस्सा 164/318 वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच काबिज काश्तकार व सहखातेदार है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या चार डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर के राजस्व अभिलेखो में वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादीगण संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन के हिस्सा 1/96 गलत अंकन को सही करवाकर राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 का सही अंकन करे। वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच व प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन के मध्य बाई मिट्स बाउन्ड विभाजन किया जावे तदनुसार राजस्व अभिलेखो में पृथक से खाता कायम किया जावे। पुख्ता सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावे तथा नक्शे मे तरमीम की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2017 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन के विरूद्ध एकतरफा कार्यवही अमल में लाई गयी। दिनांक 07.06.2018 को वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष में से धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम का अनुतोष डिलिट करने की प्रार्थना की, जिसको रिकार्ड पर लिया गया तथा दिनांक 21.01.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर लाल स्याही से अंकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली में शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10.02.2021 नियत की गयी। दिनांक 10.02.2021 को वकील वादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है साथ ही वकील वादीगण की मौखिक बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने लिखित बहस व वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व अन्य सहखातेदारान की कृषि भूमि कुल खसरा किता 66 रकबा 18.93 हैक्टेयर ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीगण के हक पूर्वाधिकारी जगदीश का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 व दो का संयुक्त हिस्सा 5/32 व तीन का हिस्सा 1/96 तत्कालीन राजस्व अभिलेखों में रहा है। जिसके सम्बन्ध में आपसी सहमति से तकासमा कर प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष दिनांक 19.07.2006 को प्रस्तुत किया गया। उक्त राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार कुल भूमि रकबा 18.53 हैक्टेयर में से 3.08 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के दर्ज हिस्से अनुसार कुल भूमि रकबा 18.53 हैक्टेयर में से 3.08 हैक्टेयर भूमि बाद विभाजन राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज होनी थी। परन्तु सहवन से त्रुटिवश उक्त विभाजनोपरान्त वादीगण के हकपूर्वाधिकारी जगदीश के हिस्से में 2.689 हैक्टेयर भूमि ही उसके दर्ज हिस्से 3.08 हैक्टेयर के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के वादीगण के बराबर हिस्सा होने के बावजूद 3.484 उसके दर्ज हिस्से 3.08 हैक्टेयर के स्थान पर अंकित कर दी गई। वादीगण व प्रतिवादी 1 लगायत 3 के मध्य किये गये उक्त विभाजन का नामन्तकरण प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा तस्दीक किये जाने से उसके अनुसार ही राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक खाता कायम कर पृथक–पृथक लगान कायम कर दिया गया। आपसी सहमति से लख्य किये गये विभाजन पत्र में खसरा संख्या 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर भूमि शामलाती रही जिसमें वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 गलत अंकन हो गया उक्त खसरा नम्बर की भूमि व दर्ज हिस्सा ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त अंकन के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या चार द्वारा विभाजन पत्र को तस्दीक कर दिया गया उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेखो में भी अंकन कर दिया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपने हिस्से से 0.39 हैक्टेयर भूमि अधिक प्राप्त हुई उक्त 0.39 हैक्टेयर भूमि वादीगण को अपने दर्ज हिस्से के अनुसार प्राप्त होने वाली भूमि से कम प्राप्त हुई भूमि है जिसको वादीगण प्राप्त करने के अधिकरी है तथा प्रतिवादीगण को प्राप्त उक्त अधिक दर्ज भूमि 0.39 हैक्टेयर वादीगण के दर्ज हिस्से 1/6 के अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण ने कानूनी कार्यवाही व राजस्व अभिलेखो में अपना नाम अंकित कराने हेतु राजस्व अभिलेखो की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर के राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा गलत अंकन हो गया। तदोपरान्त वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन को कहा कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 के स्थान पर वादीगण संख्या एक लगायत चार व वादी संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 के गलत अंकन हो गया जिसको सही करवाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या एक को कहा तो प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि अभी में व्यस्त हुँ, आप चाहे तो लेख्य करवा लेवे इस पर प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण के हक में राजस्व अभिलेखो को हुए गलत अंकन तथा वादीगण का सही हिस्से बाबत् शपथ–पत्र निष्पादित कर दिया। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में मूल तकासमा कृषि भूमि मय प्रार्थना पत्र तहसीलदार दिनांकित 01.08.2006 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श–2, मूल शपथ पत्र दिनांकित 16.04.2013

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with CamScanner

(64)

मोहनलाल पुत्र जगदीश प्रदर्श–3, मूल शपथ पत्र अनिल पुत्र कन्हैयालाल प्रदर्श–4 व राजस्व अभियान प्रभारी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के समक्ष दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत असल प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.04.2013 प्रदर्श–5 के रूप में प्रस्तुत किये है। जिसके आधार पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 डिक्री किया जाकर ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में वादी संख्या एक लगायत चार के पिता व वादीगण संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादीगण संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 के गलत अंकन को सही व दुरूस्त करवाकर राजस्व अभिलेखो में वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 का सही अंकन करवाया जावे तथा उक्त खसरा नम्बरान 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में वादीगण को हिस्सा 164/318 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्तानुसार विवादित भूमि का तहसीलदार सांगानेर को पेश **आपसी राजीनामा** दिनांकित 01.08.2006 जो प्रदर्श–1 अंकित शामिल मिसल है के अनुसार ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में वादीगण संख्या एक लगायत चार के पिता व वादीगण संख्या पांच के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादीगण संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 के गलत अंकन है के स्थान पर वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 तथा उक्त खसरा नम्बरान 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में वादीगण को हिस्सा 164/318 का खातेदार काश्तकार अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया वादीगण को वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर में हिस्सा 164/318 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बरान 2747 रकबा 3.18 हैक्टेयर का जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं वादी संख्या 5 के पति जगदीश का हिस्सा 7/18 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 47/144 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 79/288 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/96 अंकन है के स्थान पर वादीगण का हिस्सा 164/318 तथा प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 80/318 तथा प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 71/318 तथा प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 3/318 का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने का निर्देश तहसील सांगानेर को दिया जाता है। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner